



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2009/श्रावण 16, 1931

No. 8]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2009/SRAVANA 16, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2009

का.नि.आ. 9(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र बल अधिकरण की स्थापना 10 अगस्त 2009 से करती है, जो अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अर्थात्गत नियत दिन होगा।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सैल)]

आनन्द मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2009

S.R.O. 9(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby establishes the Armed Forces Tribunal with effect from the 10th August, 2009, which shall be the appointed day within the meaning of clause (c) of Section 3 of the Act.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

ANAND MISRA, Jt. Secy.